पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर (राज)

वेबसाईट: www.shekhauni.ac.in ई–मेलः reg.shekhauni@gmail.com दूरभाष नं.: 01572-232411

क्रमांक : 16919 दिनांक : 07.12.2020

कार्यवृत

विद्या परिषद की विशेष बैठक दिनांक 07.12.2020 को प्रातः 11:30 बजे विश्वविद्यालय परिसर के सभागार में आयोजित हुई जिसमें निम्न सदस्य उपस्थित रहें, उक्त बैठक में तीन सदस्य ऑनलाईन माध्यम से बैठक में सम्मिलित हुवें।

क्रं.सं.	नाम	पद नाम	धारित पद
01	प्रो0 भगीरथ सिंह	माननीय कुलपति महोदय	अध्यक्ष
02	डॉ. आशुतोष मिश्रा	सहायक आचार्य दिल्ली विश्वविद्यालय	सदस्य
03	डॉ. रामगोपाल शर्मा	प्राचार्य, श्री राधेश्याम आर. मोरारका राजकीय महाविद्यालय, नवलगढ़	सदस्य
04	डॉ. सुशील नांदल	प्राचार्य, श्री कल्याण राजकीय महाविद्यालय, सीकर	सदस्य
05	डॉ. नीलम भार्गव	प्राचार्य, आर.आर. राजकीय मोरारका महाविद्यालय, झुन्झुनू	सदस्य
06	डॉ. डी.पी. मीणा	प्राचार्य, राजकीय कन्या महाविद्यालय झुन्झुनु	सदस्य
07	डॉ. प्रेम सिंह मीणा	सह–आचार्य, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्टस, जयपुर	सदस्य
08	डॉ. रविन्द्र कटेवा	सह–आचार्य, राजकीय महाविद्यालय रामगढ़ शेखावाटी।	सदस्य
09	डॉ. पुष्पलता शर्मा	प्राचार्य टैगोर बी.एड. कॉलेज, सीकर	सदस्य
10	डॉ. अशोक गोदारा	प्राचार्य, रामादेवी टी.टी. कॉलेज नूआ (झुन्झुनू)	सदस्य
11	डॉ. दिलखुश थालोड	प्राचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय, सीकर	विशेष आंमत्रित सदस्य
12	डॉ. मुनेश कुमार	परीक्षा नियंत्रक	
13	श्री अर्जुन लाल गुर्जर	कार्यवाहक कुलसचिव	सदस्य सचिव

उक्त बैठक में डॉ. आशुतोष मिश्रा, डॉ. प्रेम सिंह मीणा व डॉ. पुष्पलता शर्मा ऑनलाईन माध्यम से बैठक में सम्मिलत हुवें।

बैठक में निम्न सदस्य उपस्थित नहीं हो सकें :–

क्रं.सं.	नाम	पद नाम	धारित पद
01		प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग राजस्थान, जयपुर।	सदस्य
02		निदेशक, निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।	सदस्य
03	डॉ. हेमबारी	सह–आचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय, सीकर	सदस्य

सर्वप्रथम माननीय कुलपति महोदय, द्वारा सभी सदस्यों का स्वागत किया गया। तत्पश्चात कुलसचिव द्वारा मिटिंग के एजेण्डा प्रस्तुत किये गये जिस पर सर्वसम्मति से विचार कर निम्नानुसार निर्णय लिये गये –

01. **कोराना (कोविड–19) के मध्यनजर राज्य सरकार द्वारा परीक्षा स्थगित किये जाने से स्नातक (बी.ए./बी.एस.सी.) प्रथम व द्वितीय वर्ष/बी.बी.ए. बी.सी.ए., बी.एस.सी. (बॉयोटेक) प्रथम एवं द्वितीय वर्ष/स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध/बी.एड. प्रथम वर्ष/बी.ए.–बी.एड., बी.एस.सी.–बी.एड चार वर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रम (प्रथम,द्वितीय एवं तृतीय वर्ष) प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर (एम.एड., एल.एल.एम., एम.एस.सी.(आईटी), पी.जी.डी.सी.ए.,) आदि पाठ्यक्रमों के सत्र 2020 के परीक्षा परिणाम पर विचार/निर्णय।**

   निर्णय :– कोरोना (कोविड–19) के मध्यनजर राज्य सरकार द्वारा परीक्षा स्थगित किये जाने से स्नातक (बी.ए./बी.एस.सी.) प्रथम व द्वितीय वर्ष/बी.बी.ए. बी.सी.ए., बी.एस.सी. (बॉयोटेक) प्रथम एवं द्वितीय वर्ष कक्षाओं में 50 प्रतिशत से अधिक प्रश्नपत्रों की परीक्षा आयोजित हो गई हो उनका परीक्षा परिणाम उन विषयों में प्राप्त अंको के औसत के आधार पर निकाला जाएगा, जिसमें शेष विषयों में 05 प्रतिशत कोरोना (Covid–19) को मध्यनजर रखते हुवें छात्रहित में बोनस अंक दिये जाएंगे तथा जिनकी 50 प्रतिशत पेपर की परीक्षा आयोजित नहीं हुई उनकी आयोजित पेपर की परीक्षा को निरस्त करते हुए प्रथम वर्ष के परीक्षार्थियों के लिए प्रथम एवं तृतीय वर्ष के आधार पर अंकतालिका जारी की जावेगीतथा द्वितीय वर्ष के लिए प्रथम वर्ष एवं तृतीय वर्ष के आधार पर आनुपातिक अंकतालिकाएं जारी की जावेगी। वर्तमान में उन्हें प्रमोट की अंकतालिका जारी की जावेगी। स्नोतकोत्तर स्तर पर भी पूर्वाद्ध के परीक्षार्थियों के जिनकी 50 प्रतिशत से अधिक प्रश्नपत्रों की परीक्षा आयोजित हो गई हो उनका परीक्षा परिणाम उन विषयों में प्राप्त अंको के औसत के आधार पर निकाला जाएगा, जिसमें विषयों में 05 प्रतिशत कोरोना (Covid–19) को मध्यनजर रखते हुवें छात्रहित में बोनस अंक देते हुए परीक्षा परिणाम जारी किया जावेगा एवं जिनकी 50 प्रतिशत पेपर की परीक्षा नहीं हुई है उन्हे प्रमोट करते हुए अंकतालिका जारी की जावेगी। B.A.-BEd. व B.Sc.-BEd. चारवर्षीय Integrated के प्रथम वर्ष, द्वितीय व तृतीय वर्ष के परिक्षार्थियों को आनुपातिक आधार पर अंतिम वर्ष के साथ अंकतालिका जारी किया जावेगी। वर्तमान में प्रमोट की अंकतालिका जारी की जावेगी। LLM/M.SC IT/M.Ed./PGDCA प्रथम, द्वितीय व तृतीय सेमेस्टर पाठ्यक्रमों में आंतरिक मूल्यांकन एवं प्रायोगिक परीक्षा के आधार पर परिणाम जारी किया जाएगा। बी.एड. प्रथम वर्ष में आन्तरिक मूल्यांकन एवं अन्तिम पाठ्योजना (प्रायोगिक परीक्षा) के आधार पर परीक्षा परिणाम जारी किया जावेगा।

02. **अध्ययन मण्डल की बैठक दिनांक 28.11.2020 "आनन्दम्" पाठ्यक्रम के अनुमोदन पर विचार/निर्णय।**

   निर्णय :– अनुमोदन किया।

03. **सत्र 2020–21 से शोध (पीएच.डी.) पाठ्यक्रम एवं शोध पर्यवेक्षको पर विचार /निर्णय।**

निर्णय :– शोध पर्यवेक्षक उन्हे ही बनाया जावें जिनकी नियमित नियुक्ति हुई है तथा जो पूर्व में राजस्थान के किसी राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय में शोध पर्यवेक्षक रहे हो या जिनके **पी.एच.डी. की डिग्री** के पश्चात दो शोध पत्र प्रकाशित हो चुके हो।

04. **सत्र 2020–21 से शैक्षणिक विभाग प्रारम्भ करवाने के प्रस्ताव पर विचार/निर्णय।**

निर्णय :– सत्र 2020–21 से विश्वविद्यालय में जो शैक्षणिक विभाग प्रारम्भ किए गए है या किये जाने है, उनकी नियमित नियुक्तियां नही होने तक सेवानिवृत शिक्षकों या यूजीसी मापदण्डों के अनुसार योग्यताधारी स्ववित्त पोषित (Self Finance) पाठ्यक्रम या डिप्लोमा जिसकी भी फैकल्टी उपलब्ध हो शैक्षणिक विभाग चालू किये जावें।

05. **अन्य बिन्दु अध्यक्ष महोदय की अनुमति अनुसार।**

क्र.सं.	ITEM	निर्णय
01	**पुर्नमूल्यांकन की पात्रता की सीमा के निर्धारण पर विचार/निर्णय ।**	सर्वानुमति से पुर्नमूल्याकंन की पात्रता प्रश्न पत्रों में 25 प्रतिशत से 50 प्रतिशत की जाने का निर्णय लिया गया तथा पुर्नमूल्यांकन में तृतीय परीक्षक को भेजने जाने वाले नियम को विलोपित किया जाता है तथा द्वितीय परीक्षक द्वारा दिये गये अंक ही अंतिम माने जाएगे।
02	**माननीय कुलपति महोदय द्वारा दिनांक 20.11.2020 को अनुमोदित विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर विभागों में शुरू किये जाने वाले पाठ्यक्रमों एल.एल.एम., पी.जी. डिप्लोमा (CYBER Law), पी.जी. डिप्लोमा (Legal & Forensic Science) एवं एम.कॉम. (ABST,EAFM, B.Adm.) की फीस क्रमशः 1500, 12000, 12000 एवं 8000 रू0 अनुमोदन किये जाने पर विचार/निर्णय।**	विश्वविद्यालय में संचालित किये जाने वाले स्ववित्त पोषित (Self Finance) पाठ्यक्रम या नियमित प्रारूप में नवीन शुल्क निर्धारण हेतु माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया जाता है।

03	**पूर्व में गठित अध्ययन मण्डल की वरिष्ठता पर विचार/निर्णय :**	वर्तमान में गठित अध्ययन मण्डल का वरिष्ठता के आधार पर गठन नहीं किया हुआ है। अध्ययन मण्डल का गठन वरिष्ठता के आधार पर किया जावें। परिनियम (Statutes) के अनुसार भी वरिष्ठता की बात की गई। अध्ययन मण्डल का गठन परिनियम (Statutes) के अनुसार नहीं किया गया है। वर्तमान में व्यवस्था के अनुसार अध्यक्ष/संयोजक विद्या परिषद का सदस्य नहीं हैं। जबकि अधिनियम, परिनियम (Statutes) के अनुसार व अन्य विश्वविद्यालयों की तरह अध्यक्ष/संयोजक विद्या परिषद का भी सदस्य होता है। अध्ययन मण्डल परिनियम के अनुसार नहीं है। साथ ही वर्तमान में परिनियम (Statutes) लागु रखने में भी कठिनाई है। अतः आगामी बैठक एजेण्डा में परिनियम (Statutes) संशोधन बिन्दु को सम्मिलित किया जावें।

कुलसचिव द्वारा माननीय सदस्यों का आभार एवं धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

7/12/20

कुलसचिव